कुछ हद तक कम की जा सके और जो बाद में वृहद योजना की पूरक सिद्ध हो। सरकार को इस बात का सर्वेक्षण कराना चाहिये कि क्या रापती और गोंडा जिले में कोई बंद बांध कर उसके पानी को बस्ती जिले की वाणगंगा नहर और गोरखपुर जिले की गंडक नहर से मिला कर उसके फाजिल पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता और क्या रापती से निकली हुई इस नहर की शारदा सहायक की तरह इन छोटी नहरों के अलावा गंडक सहायक योजना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ?

इसी बीच रापती रोहिणी और उसकी सहायक नदी नालों के तटबंधों की मुरम्मत के काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। पिछले दो साल की बाढ़ की तबाही से त्रस्त रिगोली, पंचमी, मूसाभार धारना, करखी इत्यादि ग्रस्सी गांवों के निवासियों के लिए सिर छिपाने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है।

(ix) Need to improve the efficiency of Railways in Bhavnagar Rajkot Division.

SHRI MOHAN LAL PATEL (Junagadh) : Mr Deputy-Speaker, Sir, Bhavnagar and Rajkot Division occupies a pride of place in the map of Indian Railways. But, unfortunately, the passenger traffic and the efficiency of railways in this division is decreasing gradually. On the other hand, in other Divisions like Eastern Railway, Southern Railway, the passenger traffic is increasing steadily. The decrease in the above said Division of Western Railway is mainly due to very slow speed of the trains. In fact, some of the trains in this Division have been cancelled due to less traffic. If this position continues, many more trains may be cancelled in the near future. This is a great threat for the living in the areas of Rajkot and Bhavnagar which are very important commercial centres. Therefore, I would like to offer two valuable suggestions for the kind consideration of the hon. Railway Minister.

First of all, the speed of the trains that are run in these Divisions must be increased with immediate effect.

Secondly, superfast trains should be introduced between Delwara and Ahmedabad via Veraval, Junagarh, Jelalsar, etc. These trains should reach Ahmedabad at the latest by 4 p.m. This will enable the Delhi passengers to catch the superfast train which starts from Ahmedabad at 5.10 p.m. The travellers for Bombay conveniently catch the train which starts at Ahmedabad at 6.00 p.m.

I hope that the hon. Minister would accept both of my suggestions and take immediate steps in this regard.

(x) Compound interest charged by banks on loans given to small farmers

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है, उस पर बैंक द्वारा हर 6 महीने या साल के अन्त में ब्याज जोड़कर मूलधन में शामिल कर लिया जाता है, फिर उस पर ब्याज पुनः मूलधन की भांति जोड़ते जाते हैं और यह क्रम अन्त तक जारी रहता है। इस कारण गरीब ग्रामीण एवं छोटे-छोटे किसान अपनी गृहस्थी के लिये दिये गये बैंक ऋण की दुगनी-तिगुनी धनराशि जमा करने के लिये मजबूर किये जाते रहे हैं।

साथ ही यह और भी विचित्र बात है कि अगर वह धन बैंक किसी तहसील से वसूली हेतु भेजता है तो पूरे बकाया धन पर 10 प्रतिशत का वसूली चार्ज लगा दिया जाता है। बेचारा नासमझ किसान इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज से पिसता जा रहा है।

अतः माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन

[श्री चन्द्रपाल सिंह]

है कि छोटे एवं भूमिहीन किसानों को दी गई सरकारी सहायता राशि पर मूलधन पर ही अन्त तक ब्याज जोड़ा जाये और लगातार बढ़ती हुई चक्रवृद्धि ब्याज को बन्द कर दिया जाये। साथ ही ग्रामीणों से ऋण वसूलने के लिये तहसील द्वारा वसूली खर्च न लिया जाये।

(xi) Facilities and Payment of wages to canteen workers equal to those of Central Government Employees

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ भवनों में दो प्रकार के कैन्टीन चल रहे हैं। एक विभागीय और दूसरा सहकारी। गृह मंत्रालय ने दिनांक 1-10-79 को एक अधिसूचना के तहत इसे भारत सरकार के अधीन सिविल पद के धारक के रूप में घोषित किया। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों के पद संघ के कार्यों से संबंधित पदों के रूप में घोषित किये गये। इस अधिसूचना के बाद भी गृह-मंत्रालय ने केन्टीन कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित ही रखा।

स्मरणीय है कि रेल मंत्रालय ने दिनांक 22-10-1980 से ही अपने अधीन के कैन्टीन कर्मचारी को सहकारी कर्मचारी के रूप में मान लिया है और अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह ही उनका वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी रेल मंत्रालय का अनुसरण किया है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 22-4-83 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह बतलाया है कि कैन्टीन के कर्मचारियों को वे ही वेतनमान और सुविधाएं दी जायें जो केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाती हैं।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए कैन्टीन कर्मचारियों को भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि 1-10-79 से ही केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं लागू करें।

THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI) : Sir, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move* :

> "That the Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the African Development Bank and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Hon. Members will recall that in December, 1981, the House considered and adopted unanimously a motion in respect of India's membership in the African Development Fund. The African Development Bank is a sister organisation of the African Development Fund. Both have the same objectives; to help further the economic and social development of regional members countries by providing financial and technical assistance for selected developmental projects and programmes. The difference is in their operations, being that the African Development Fund provides loans on softer terms (lower interest rate and longer repayment period) while the African Development Bank provides loans on harder terms. The two institutions are thus modelled on the IDA and IBRD respectively.

Unlike the African Development Fund, which has as its members, non-regional countries, the initial constitution of the African Development Bank provided for membership of only regional countries. However, in order to mobilize external resources required for stimulating growth